न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण कमांक 45/बी–121/2015–16

: आदेश ::

(आज दिनांक 23/04/2016 को पारित किया गया)

तहसीलदार तहसील आजाद नगर का जॉच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)आजाद नगर के माध्यम से अनुशंसा सहित प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 30.12.2015 को घटनास्थल ग्राम बरझर मे सड़क दुर्घटना (मोटरसाईकिल वाहन से सडक दुर्घटना होने से) होने पर झेनु पिता दितिया जाति भील निवासी सेजावाडा तहसील आजाद नगर की मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान राशि रूपये 15,000/–(पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

तहसीलदार आजाद नगर एवं अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)आजाद नगर के अभिमत से सहमत होकर थाना रिर्पोट एवं पी.एम.रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर वारिशान में मृतक की पत्नि लीला पति स्व.झेनु जाति भील निवासी ग्राम सेजावाडा तहसील आजाद नगर को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक/एफ–20–21/2012/1/4 भोपाल, दिनाक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार सडक दुर्घटना मे मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 15,000/–(पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाते है।

उक्त व्यय मांग संख्या 02–लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम –800–अन्य व्यय– (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता –42 सहायता अनुदान –007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

S/d
(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क/312/रीडर/2016 अलीराजपुर दिनांक 23/04/16

प्रतिलिपिः–

1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
3 प्रभारी अधिकारी (वित्त–2) जिला अलीराजपुर। (बैकं खाते की छायाप्रति संलग्न)
4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आजाद नगर।
5 सहायक जनसंपर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
6 तहसीलदार तहसील आजाद नगर।
7 संबंधित मृतक पत्नि लीला पति स्व.झेनु जाति भील निवासी ग्राम सेजावाडा तहसील आजाद नगर की ओरसूचनार्थ।

NIC

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर